



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022021-225432  
CG-DL-E-24022021-225432

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]  
No. 88]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2021/फाल्गुन 3, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/PHALGUNA 3, 1942

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2021

**सा.का.नि. 129 (अ).**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (समूह "ख" पदों) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह 'ख' के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित [विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2020) है।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षाकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्र-सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन/अचयन	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रशासनिक अधिकारी	07 (2020) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9  (53100-167800/-रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा  (ii) सशस्त्र बल कार्मिक के लिये या पुनर्नियोजन द्वारा	<b>प्रोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-1,42,400/-रु.) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे  1. वैज्ञानिक 'एफ'	लागू नहीं होता

		<p>1, 42, 400/-रु. (श्रेणी 7) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो या निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 7 (44900-1, 42, 400/-रु. में मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय की प्रयोगशालाओ/केंद्रों पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा निजी सचिव जिन्होंने दो वर्ष के अवधि के लिये प्रशासन अनुभाग में कार्य किया हो और अनुभाग अधिकारी का कार्य किया हो (प्रयोगशाला/केंद्र के निदेशक द्वारा सत्यापित) टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अनुभाग अधिकारी और योग्य निजी सचिवों की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी जिन्हे प्रशासन के कार्य का दो वर्ष का अनुभव प्राप्त है (प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा सत्यापित) और वरिष्ठता नियमित सेवा उपर्युक्त ग्रेड में आने से मानी जायेगी। टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों कई सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु</p>	<p>मापगुप्रनिदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय <b>-अध्यक्ष</b></p> <p>2. संयुक्त निदेशक या समकक्ष अधिकारी मापगुप्र निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय <b>-सदस्य</b></p> <p>3. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से एक अवर सचिव या उपनिदेशक <b>-सदस्य</b></p> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे</p> <p>1. वैज्ञानिक एफ, मापगुप्रनिदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय <b>-अध्यक्ष</b></p> <p>2. संयुक्त निदेशक या समकक्ष अधिकारी मापगुप्र निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय <b>-सदस्य</b></p> <p>3. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन</p>	
--	--	--	---	--

			<p>यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी (i)मूल कैडर में नियमित आधार पर सद्र्श पद पर हो (ii) श्रेणी 8 के (47600-151100/- रु.) के वेतन मान पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो (iii) श्रेणी 7 के (44900-142400/- रु.) के वेतन मान पर दो वर्ष की नियमित सेवा और (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री</p> <p>टिप्पण 1 : विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रातिनियुक्त प्रोन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही</p>	<p>निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से एक अवर सचिव या उपनिदेशक</p> <p>-सदस्य</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुंर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वंधो पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हन सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उहे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 अनुभाग अधिकारी	04 * (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में (रु. 44900-142400 रु.) श्रेणी 7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>i) प्रोनति द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति</p> <p>(ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन</p>	<p>प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 6 (35400 - --112400/-रु.) में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण :जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रौन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी (क) (i)सदृश कैडर में नियमित</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित हैं</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वैज्ञानिक एफ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</li> <li>2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या समतुल्य, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</li> <li>3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक -सदस्य।</li> </ol> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वैज्ञानिक एफ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</li> <li>2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या समतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</li> <li>3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक -सदस्य।</li> </ol>	लागू नहीं होता

			<p>आधार पर अनुरु.प पद पर हो (ii) श्रेणी 8 के (47600-151100/- रु.) के वेतन् मान पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो (iii) श्रेणी 6 के (35400-112400/- रु.) वेतन् मान पर पांच वर्ष की नियमित सेवा और</p> <p>टिप्पणी 1 : विभागीय अधिकारी जो प्रौन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रातिनियुक्त प्रौन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होगी</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताये हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वहण पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात् उसे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. निजी सचिव	10*2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित ' अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900 - 1,42,400/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) प्रोन्नति द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति (ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 6 (35400-112400/-रु.) में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण :जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित हैं 1. वैज्ञानिक एफ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक या/ उप निदेशक या समतुल्य, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना	लागू नहीं होता



			<p>अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रौद्योगिकी के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौद्योगिकी के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी (क) (i) समान कैडर में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हो (ii) श्रेणी 8 के (47600-151100/- रु.) के वेतन मान पर दो वर्ष की नियमित सेवा (iii) श्रेणी 6 के (35400-112400/- रु.) वेतन मान पर पांच वर्ष की नियमित सेवा और</p>	<p>प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एसटीक्यूसी निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक -सदस्य।</p> <p>समूह ख ' विभागीय पुष्टिकरण समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वैज्ञानिक एफ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</li> <li>2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या समतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;</li> <li>3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक -सदस्य।</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--

			<p>टिप्पण 1 : विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रातिनियुक्त प्रौन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : किसी अन्य पूर्व-केंद्र पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताएं हैं। ऐसे</p>		
--	--	--	--	--	--

			व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वहण पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक अनुभाग अधिकारी	57 * (2020) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400 - 1, 12, 400/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति (ii) सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन या आमेलन द्वारा	<b>प्रोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 4 (25500--81100/-रु.) में ऐसे वरिष्ठ सचिवीय सहायक जिन्होंने एसटीक्यूसी निदेशालय की प्रयोगशाला/केंद्र में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण :जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित हैं 1. वैज्ञानिक एफ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या समतुल्य इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समकक्ष एसटीक्यूसी निदेशालय -सदस्य ; 3. एसटीक्यूसीनिदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक-सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है :	लागू नहीं होता।

			<p>गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी (क) (i) सदृश कैडर में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हो (ii) श्रेणी 4 के (25500-81100/-रु.) के वेतन् मान पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> विभागीय अधिकारी जो प्रौन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रातिनियुक्त प्रौन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि</p>	<p>1. वैज्ञानिक एफ़ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक उप / निदेशक यासमतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;</p> <p>3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या शकउप निदे -सदस्य।</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>तुरंत ही केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होगी</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताये हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वर्धों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उहे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. निजी सहायक	16* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (354000 - 1,12,400/- रु.) .	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) प्रोनति द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति (ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/- रु.) में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो <b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों कई सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित हैं 1. वैज्ञानिक एफ़ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक उप / या निदेशकसमतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक -सदस्य।	लागू नहीं

			<p>सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी - (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों पर धारण करने वालों में से; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,5000-81,100/-रु.) में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3</p>	
--	--	--	--	--

			<p>वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताये हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वंधो पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्होने सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात् उहे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	06* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अ-जपत्रितरा अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400- - 1,12,400/- रु.) .	लागू नहीं होता	केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रखा हो या परीक्षा के माध्यम के



				<p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, काश्मीर राज्य, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की पंगी उपखण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहे हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में रहा हो और हिंदी से अंग्रेजी में</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p><b>टिप्पण 1 -</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।</p> <p><b>टिप्पण 2 -</b>अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त</p>
--	--	--	--	--	--

						संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष.	सीधी भर्ती न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(क) (i) सदृश कैडर में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हो</p> <p>(ii) श्रेणी 5 के (29200-92300/- रु.) के वेतन मान पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में दी गई सीधी भर्ती, के लिये अर्हता व अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो साधारणतया तीन साल से अधिक नहीं होगी</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में विचार किया</p>	<p>समूह ख ' विभागीय पुष्टिकरण समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>वैज्ञानिक एफ़ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</li> <li>संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या समतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;</li> <li>एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक -सदस्य।</li> </ol>	लागू नहीं होता

			जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताये हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वन्धो पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्होने सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात् उहे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. पुस्तकालय और सूचना सहायक	02 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में (रु. 35400-112400 रु.) श्रेणी 7	लागू नहीं होता	केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है। <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, काश्मीर राज्य, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की पंगी उपखण्ड	आवश्यक (इ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि (ई) किसी केंद्रीय / राज्य सरकार / स्वायत्त या वैधानिक / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था में दो वर्ष का अनुभव <b>वांछनीय</b> मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर अप्लिकेशन में डिप्लोमा <b>टिप्पण 1 :</b> उम्मीदवारों की योग्यता के मामले में कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी

					<p>अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>द्वारा छूट दी जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव के संबंध में योग्यता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग सक्षम / प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है यदि चयन के अंतिम चरण में, तत्कालीन प्राधिकारी का विचार है कि इन समुदायों के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी नहीं हैं</p>
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>i) प्रोनति द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति</p> <p>(ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए पुर्नियोजन रोजगार की : प्रतिनियुक्ति याआमेलन द्वारा</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(i) समान कैडर में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हो</p> <p>(ii) श्रेणी 5 के (29200-92300/- रु.) के वेतन् मान पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो</p> <p>और</p> <p>(क) स्तम्भ 7 में दी गई सीधी भर्ती के लिये अर्हता और अनुभव रखते हैं</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी</p>	<p>समूह ख ' विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है :</p> <p>1. वैज्ञानिक एफ़ ' , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक उप / निदेशक यासमतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिवउप निदेशक / -सदस्य।</p>	लागू नहीं होता

			<p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिको के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताये हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वन्धो पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हेन सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उहे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. 2(6)/2018-पी ए (टीबी)]

अरविंद कुमार, महानिदेशक, एसटीक्यूसी निदेशालय

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

**(Standardisation Testing and Quality Certification Directorate)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2021

**G.S.R 129(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Standardisation Testing and Certification Directorate Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(i) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in, writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection Post or Non Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational & other Qualifications required for Direct Recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Administrative Officer	07* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-9 in the pay matrix (Rs. 53,100 - 1,67,800).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any	Method of recruitment: Whether by Direct Recruitment or by promotion or by Deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of Recruitment by promotion or deputation/ absorption and grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) Promotion failing which by deputation (ii) For Armed Forces personnel : Deputation/re-employment	<p>Promotion:</p> <p>Section Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400) in Laboratories/Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with three years regular of service or Private Secretary in Level-7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix in Standardisation, Testing and Quality Certification Laboratories /Centres with five years of regular service:</p> <p>provided that Private Secretaries who have worked in the Administration Section for a period of two years and discharged the duties of Section Officer (to be certified by the Lab or Centre Director)</p> <p>Note 1: For promotion, a combined seniority list of Section Officers and eligible Private Secretaries who have worked in the Administration for a period of two years (and certified by the concerned lab Director) shall be prepared and the seniority shall be determined from the date of their joining the regular service in their respective grades.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officer of the Central</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</p>	Not applicable.



		<p>Government or State Government-</p> <p>(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the posts in the Level 8 in the pay matrix of Rs.47600-151100; or</p> <p>(iii) with three years regular service in the post in Level 7 in the pay matrix in Rs. 44900 – 142400; and</p> <p>(b) Possessing Bachelor's degree from a recognised University.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For Armed Forces personnel: Deputation / re-employment:</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Section Officer	04* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix Rs. 44900 – 142400.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) Promotion failing which by deputation and (ii) For Armed Forces Personnel : Deputation/re-employment	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistant Section Officer in level-6 in the pay matrix of Rs.35400-112400 with five years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years of regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</p>	Not applicable.

			<p>organisation /department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For Armed Forces personnel : Deputation/re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Private Secretary	10* (2020) *Subject to variation, dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable	<p>(i) Promotion failing which by deputation;</p> <p>(ii) For Armed Forces personnel : Deputation/re-employment</p>	<p><b>Promotion:</b> Personal Assistant in level-6 in the pay matrix Rs.35400-112400 in Laboratories/ Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with five years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>1. Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology – Chairman;</p> <p>1. The Joint Director or equivalent level officer of STQC Directorate , M/o Electronics and Information Technology – Member;</p> <p>3. The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate – Member</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p>	Not applicable.

			<p>grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) Personal Assistant in Level 6 in Pay Matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For Armed Forces personnel : Deputation/re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</p>	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Section Officer	57* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two Years.	(i) Promotion failing which by deputation; and (ii) For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Senior Secretarial Assistant in Level-4 in the pay matrix Rs.25500-81100 in Laboratories/Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with ten years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government – (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Senior Secretarial Assistant in level 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with ten years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</li> <li>2. The Joint Director or equivalent level officer of STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</li> <li>3. The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate. -Member.</li> </ol> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</li> <li>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</li> <li>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Armed Forces personnel : Deputation/re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Personal Assistant	16* (2020) *Subject to variation, dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400/-).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two Years	(i) Promotion failing which by deputation; and (ii) For Armed Forces Personnel: Deputation/Re-employment	<p>Promotion: Stenographer in the level 4 in the pay matrix Rs. 25,500-81,100/- with ten years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scientist 'F', STQC Directorate M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</li> <li>2. The Joint Director or equivalent level officer of STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</li> <li>3. The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</li> </ol> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p>	Not applicable.

			<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government -</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) Stenographer or equivalent in level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with ten years of regular service in the grade or equivalent in the parent cadre or Department.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment is the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Armed Forces personnel : Deputation/re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</p>	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Junior Hindi Translator	6* (2020) *Subject to variation, dependent on workload	General Central Service Group B Non-Gazetted –Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400/-)	Not applicable.	30 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the
					<b>Note 1 :</b> The	

					<p>crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep.</p>	<p>medium of examination at the degree level or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; Or Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including government of India Undertaking.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualifications(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or</p>
--	--	--	--	--	--	--



						Scheduled Tribes if at any stage of selection, the SSC/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two Years.	Direct Recruitment failing which by deputation.	<p><b>Deputation :</b> Officers under the Central Government or State Government -</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With six years of regular service in the post in the level 5 in Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300/-) or equivalent.</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7)</p> <p><b>Note 1 :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For Ex-serviceman : Deputation/re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</p>	Not applicable.

			and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Library and Information Assistant	2* (2020) *Subject to variation, dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted –Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400/-	Not Applicable.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep.	<b>Essential:</b> (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University/Institute; (ii) Two years' professional experience in a Library under Central/State Government/Autonomous or Statutory organization/PSU/ University or recognized research or educational institution.  Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute .  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified or reasons to be recorded. Note 2: The qualifications(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, any stage of selection, the competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two Years.	Direct Recruitment failing which by Deputation.  For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment	<p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government/Union territories/Public Sector Undertaking /Autonomous Organizations-</p> <p>(a) Holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(b) With six years of regular service in Level 5 in Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300/-) or equivalent.</p> <p>(c) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7)</p> <p><b>Note 1 :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Armed Forces personnel : Deputation/re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate -Member.</p>	Not applicable.

[F.No. 2(6)/2018-PA(TB)]

ARVIND KUMAR, Director General STQC Directorate